



## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई - 6.

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

### स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

✓ श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... दुर्गशा पाठक  
C-4704 सेक्टर - 12  
राजा जी पुरम लखनऊ

पत्रांक 1794 / निर प्रा० २०१७/२९६/२६५ दिनांक 23-6-17

भक्त/ भूखण्ड संख्या/ खस्स संख्या 13/7092 योजना राजा जी पुरम नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 30-5-17 के क्रम में निर प्र० रजिस्टर संख्या 20.1.7/269... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 23-6-17 से 22-6-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 220.53 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये.. 162.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - 12..... उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

*Z.Caley*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

तददिनांक 23-6-17

पृ० सं 1794 / उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - 12..... उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन यो. लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजा जी पुरम यो.) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन यो. लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*Z.Caley*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6.

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में

✓ श्री/श्रीमती/कुमारी लक्ष्मी नारायण  
F-2/5201 राजा जी पुरम  
लखनऊ

पत्रांक 1291

नि० प्र० 2017/284/2

दिनांक 11/5/17

भवन/भूखण्ड संख्या/खम्मा संख्या F-2/5201 योजना राजा जी पुरम नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 3-5-17 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2017/284/2 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 11/5/2017 से 10/5/2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूमि, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 90.32 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 181.59 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 1291

/उपरोक्त

/ तददिनांक

11/5/2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन यो. लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजा जी पुरम योजना) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन यो. लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

D/Calypso



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-षष्ठम्

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

स्वीकृत-पत्र

सेवा में

श्री/ श्रीमती/ कुमारी पैम नाथ सिंह  
F- 2208 राजा जी पुरम  
लखनऊ

पत्रांक 902

निः प्रा० २०१७/२७६/।

दिनांक ०३/५/१७

✓ भवन/भूखण्ड संख्या/खस्सा संख्या.....F- 2202.....योजनाराजा जी पुरम.....नगर.....लखनऊ.....निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २७-३-१७ के क्रम में निः प्रा० रजिस्टर संख्या२०१७/२७६/।.....के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ०३/५/१७ से २५/५/२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति क्सेमेन्ट, भूतल, प्रथम तल द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 68.62.....वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 120.50.....वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12.....उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना है।
7. यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक 68.62.....वर्गमीटर भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु प्रदान की जाती है भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कि रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तलों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

पृ० सं० ९०२ /उपरोक्त /

प्रतिलिपि:-

- विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक तददिनांक ०३/५/१७
1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12.....उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स.....वृन्दावन मौजना लखनऊ.....को स्वीकृत मानचित्र(एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
  2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय(राजा जी पुरम मौजना)उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स.....वृन्दावन मौजना लखनऊ.....को उपरोक्त शर्त सं०-५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई—6.

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुषमा देवी  
E- 3450 राजा जी पुरम  
लरबन 32

पत्रांक ७७

नि० प्रा० २०१६/२५६

दिनांक ९/१/१७

✓ भवन/भूखण्ड संख्या/खस्ता संख्या E-3450 योजना राजा जी पुरम नगर लरबन 32 निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २२-१२-१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या २०१६/२५६ के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ९/१/१७ से ४/१/२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ४५:४४ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ५.६:०.७ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- १२ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

२०१७/११/१७  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० ७७

/उपरोक्त

तददिनांक

९/१/१७

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- १२ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन मौ. लरबन 32 को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजा जी पुरम योजना) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन मौ. लरबन 32 को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

२०१७/११/१७  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई—६

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में

श्री/ श्रीमती/ कुमारी मैनेजर यादव  
E-3099 राजा जी पुरम  
लखनऊ

पत्रांक 2191

नि० प्रा० २०१६/२१।

दिनांक २१/७/१६

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खसरा संख्या E - 3099 योजना राजा जी पुरम नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ३-६-१६ के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या २०१६/२१।

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २१/७/१६ से २०/७/२०२१ तक) पाँच वर्ष की ढोगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा समर्टी हेतु ४। ४९ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ८। ४० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड—१.२ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० स० २१९१ / उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक २१/७/१६

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड—१.२ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् वृन्दावन मौ० लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजा जी पुरम मौ०) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् वृन्दावन मौ० लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

२। काल्य० २। ३। १६

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-षष्ठम्  
नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ  
स्वीकृत-पत्र

सेवा में

श्री/ श्रीमती/ कुमारी अद्वृत कर्मी  
40/111 नगा चौक परेड  
कानपुर

पत्रांक

208.

निः प्रा 2016/188/1

दिनांक 25/1/17

✓ भवन / भूखण्ड संख्या / स्वास्थ्य संख्या F-1840 योजना राजाजीपुरम नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 26-5-16 के क्रम में निः प्रा 2016/188/1 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र ख़त: निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 25/1/17 से 24/1/2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति बेसमेन्ट, भूतल, प्रथम तल द्वितीय तल तथा ममडी हेतु 85.07 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 141.93 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उप्रो आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना है।
- यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक 85.07 वर्गमीटर भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु प्रदान की जाती है भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कि रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तलों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

2.10.17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

तददिनांक 25/1/17

पृष्ठ सं 0  
प्रतिलिपि:-

208

/उपरोक्त

/

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 उप्रो आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स वृन्दावन योजना लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र(एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजाजीपुरम योजना) उप्रो आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स वृन्दावन योजना लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं-5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2.10.17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

OK

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई—६

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी इवेता नित्यल  
C-3381 राजा जी पुरम

पत्रांक १८९ मौ. न. ८०९००३९२९७ नि० प्रा० २०१६/१६२

दिनांक २२/१/१६

✓ भवन/भूखण्ड संख्या/खंड संख्या C-1911 योजना राजा जी पुरम योजना नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक १४-१-१६ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या २०१६/१६२ के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २२/१/१६ से २१/१/२०२१ तक) पाँच वर्ष की ढोगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु १५५.७५ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये २३४.४३ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-१२ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

~~22/1/16~~

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० स० १०९

/ उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-१२ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन यौ. लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजा जी पुरम यौ.) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन यौ. लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

~~22/1/16~~

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

*C*

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-षष्ठम्  
नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

स्वीकृत-पत्र

वेवा मे.

श्री/ श्रीमती/ कुमारी अमित महेश्वरा  
महेश्वरा हाउस MIG-761/2 टिकैत राम  
दला. डी.ए. कालोनी सआदतगाज लखनऊ

पत्रांक

1370

निर प्रा० २०१६/१७३

दिनांक 24/5/16

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खसरा संख्या B-30 योजना राजा जी पुरम नगर लखनऊ निर्माण करने व्यक्ति आपके अवेदन पत्र दिनांक 5-2-16 के क्रम में निर प्रा० रजिस्टर संख्या के अनुसार अन्तिमिति शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दृष्टि में अनिचित रूप समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 24/5/16 से 23/5/2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत नियम प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति ब्लॉक-फ्लॉर, भूतल, प्रथम तल द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 539.48 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 51.9.29 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 द्वारा अवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी। यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
4. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्बन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
5. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना है।
6. यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक 539.48 वर्गमीटर भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु प्रदान की जाती है भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कि रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तर्जों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

24/5/16

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक 24/5/16

पृ० सं० 1370 / उपरोक्त

प्राप्तिलिपि:-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12 द्वारा आवास एवं विकास परिषद अफिस काम्पलेक्स द्वितीय तल योजना लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र(एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजा जी पुरम) द्वारा आवास एवं विकास परिषद अफिस काम्पलेक्स द्वितीय तल योजना लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं०-५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक 23/5/16



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6.

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

✓/ श्रीमती/ कुमारी राजा जी पुरम  
D-99 राजा जी पुरम  
लखनऊ

पत्रांक 1793 / निरो प्रा० 2017/298 / 267 दिनांक 23-6-17

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खसरा संख्या..... D-99 योजना राजा जी पुरम नगर लखनऊ  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 6-6-17 के क्रम में निरो प्र० रजिस्टर संख्या 2017/298.....  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 23-6-17 से 22-6-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों  
सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममठी हेतु 454.00 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये..  
452.92 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-12  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित  
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

*J. Caley*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पू० सं० 1793 / उपरोक्त / तददिनांक 23-6-17

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - 12..... उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन घोषी लखनऊ  
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (राजा जी पुरम घोषी) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन घोषी लखनऊ  
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*J. Caley*  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक